कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 128/15 तिथि–28.09.2015
अरूण राम बनाम अन्य (रूपनपट्टी मथुरापुर, सकरा)
उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

दिनांक–20.05.2015 को परिवादी अरूण राम द्वारा एक परिवाद दायर किया गया जिसमें मनरेगा से संबंधित शिकयत दर्ज की गयी। उसके द्वारा अधोहस्ताक्षर के समक्ष मौखिक रूप से बताया गया कि उसने वर्ष 2013 में मनरेगा के तहत वनपोषक का कार्य किया है जिसका भुगतान लंबित है।

इसके आलोक में मा0 मुखिया, रूपनपट्टी मथुरापुर, पंचायत रोजगार सेवक, रूपनपट्टी मथुरापुर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा को एक नोटिस दिया गया। उसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा ने अपने पत्रांक–79 दिनांक–20.07.2015 में उल्लेख करते हुए कहा है कि पंचायत रोजगार सेवक को लम्बे अवधि तक हड़ताल पर रहने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। परन्तु उनके द्वारा अभी तक अभिलेख का प्रभार नहीं सौंपा गया है। प्रभार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिलेख प्राप्त होते ही वाद से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा ने दिनांक–24.08.2015 को एक अन्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए कहा है कि परिवादी श्री अरूण राम द्वारा भुगतान लंबित रहने का मामला दर्ज किया गया है। श्री अरूण राम का पंजीयन सं0–1232 है। श्री अरूण राम वर्ष–2010 तक विभिन्न योजनाओं (Online Status) पर कार्य किये है जिसका भुगतान किया गया है।

श्रीं अरूण द्वारा वनपोषक के रूप में कार्य करने की बात कही गई है जो योजना –सिहो उ0 विद्यालय से पश्चिम स्थित मठ के जमीन में पौधारोपण भाग–12 (योजना सं0–22/11–12)। इस योजना का (Online Status) से ज्ञात होता है कि श्री अरूण राम का भुगतान किया जा चुका है। परन्तु संबंधित अभिलेख में (Advice List) संलग्न नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही इस योजना का कार्य स्थल का निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि कार्य स्थल पर वृक्ष नगण्य है। उक्त स्थिति में श्री अरूण राम के माध्यम से कार्य करने एवं भुगतान नहीं होने से संबंधित साक्ष्य अपेक्षित है। विदित हो कि इस संदर्भ में परिवादी श्री अरूण राम को उनके दूरभाष (7562874839) पर बार–बार निदेश दिया गया कि वे अपने पासबुक को अद्यतन करा कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हों परन्तु वे कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या परिवादी श्री अरूण राम द्वारा मनरेगा अंतर्गत काम किया है? यदि हाँ तो क्या उनका भुगतान हुआ है? कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी श्री अरूण राम का भुगतान किया जा चुका है। परन्तु संबंधित अभिलेख में (Advice List) संलग्न नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहाँ है कि परिवादी श्री अरूण राम के माध्यम से कार्य करने एवं भुगतान नहीं होने संबंधी साक्ष्य अपेक्षित है।

28/9/15

–: निष्कर्ष :–

परिवादी श्री अरूण राम द्वारा मनरेगा अंतर्गत काम किया गया जिसका भुगतान भी हुआ है। परन्तु संबंधित अभिलेख में (Advice List) संलग्न नहीं होना कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा के लापरवाही को द्योतक है। परिवादी श्री राम द्वारा बार–बार निदेश के बावजूद अद्यतन पासबुक के साथ उपस्थित नहीं होना परिवादी के अगंभीर होने का परिचायक है। इस प्रकार यह वाद खारिज करने के योग्य है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा को भविष्य में अपने कर्त्तव्यों कें प्रति सचेत रहने की हिदायत देते हुए इस वाद को खारिज की जाती है।

ह/.

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 115 / मुज0,दिनांक– 28/09/2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेश नाथ राय
28/9/15
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर